Fax / Speed post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

फा. सं. 33/प्रेस क्लीपिंग/7/2015/आर.यू.-III

छठा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:03.02.2016

सेवा में,

श्री राजीव गौबा,
मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
जिला - रांची

विषय: झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु भु-अर्जन में अनियमितताओं और आदिवासियों को मिलने वाले मुआवजे को बिचौलियों द्वारा हड़पने की घटना के संबंध में प्रभात खबर समाचार पत्र, रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को "मुआवजे के 11 करोड़ रूपए निकाल लिए बिचौलिए।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर माननीय अध्यक्ष, डा. रामेश्वर उरांव, अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकरण की स्थलीय जांच करने हेतु आयोग से मामले की जानकारी के लिए जांच दल को भेजा। जांच दल ने स्थलीय जांच की। आयोग ने स्थलीय जांच रिपोर्ट (कॉपी संलग्न) में पायी गई जानकारी/तथ्यों के आधार पर दिनांक 30.06.2015 को आयोग में Sitting रखी। Sitting आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने ली जिसके कार्यवृत की प्रति दिनांक 17.07.2015 (कॉपी संलग्न) आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारीगणों (सचिव, राजस्व विभाग, सचिव, कल्याण विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार तथा उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक, जिला धनबाद)को भेजी गई।

रिपोर्ट में आयोग ने स्पष्ट किया कि उपायुक्त, धनबाद द्वारा भेजी गई अनुपालना रिपोर्ट प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही से संबंधित पाई गई है जो कानून की प्रक्रिया को पूरा करना है। प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जमीन की उत्पीड़नता पर ध्यान नही दिया, जमीन तो गई ही उनकी आजीविका का साधन भी चला गया। मिलने वाला मुआवजा भी हड़प लिया गया। प्रशासन के नियमों/कानूनों के होते हुए उनको उनकी जमीन से वंचित कर ठगा जाना अत्यन्त गंभीर कृत्य है। मामले में प्रशासन द्वारा जनजातियों का संरक्षण नहीं किया गया जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई उन्हें इसके बदले दूसरी जमीन या मुआवजा दिए जाने की कार्यवाही करें।

तदोपरांत आयोग ने दिनांक 04.11.2015 और 07.01.2016 को Sitting रखी। आपकी अनुपस्थिति, अपरिहार्य कारणों और राष्ट्रपति जी के दौरे के कारण Sitting स्थगित की गई जिसमें आयेग द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं लिए जा सके।

चूंकि यह मामला अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि के अधिग्रहण पर हुए उत्पीड़न का है और नीतिगत विषय है जिस पर राज्य के उच्च अधिकारियों से चर्चा करना अनिवार्य है

1. मुआवजे का भुगतान, बिचौलियों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उन्हें मुआवजा देने में ठगना।
2. मुआवजा हड़पने वाले अधिकारियों एवं दलालों की चल/अचल समपत्ति जब्त कर मुआवजा वसूलना।
3. अनुसूचति जनजाति के सदस्यों की भूमि का अधिग्रहण विकास कार्य हेतु किया गया किंतु उन्हें उनकी भू-अर्जन का सरकार द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं होना।
4. जमीन के बदले जमीन पर विचार ।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अध्याय 2 की धारा (iv) व (v) का अनुपालन न होना। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण की रोकथाम में एहतियात को नजर अंदाज किया जाना।

अतः आयोग के माननीय अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव ने पुनः प्रकरण पर Sitting रखी है जिसमें आपके साथ गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार को वैयक्तिक तौर पर **दिनांक** 11.02.2016 **को मध्याह्न** 12:30 **बजे** चर्चा के लिए आयोग मुख्यालय में बुलाया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को बैठक में सभी दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

के०डी० बनसौर

(के.डी. बन्सौर)श्रीमती

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. गृह सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, जिला-रांची।
2. पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, जिला-रांची।
3. सचिव, राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।
4. सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार रांची।
5. जिलाधिकारी/उपायुक्त, जिला – धनबाद, झारखण्ड।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला-धनवाद, झारखण्ड।
7. सहायक निदेशक, एनसीएसटी ,क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल दिनांक 11.02.2016 को बैठक में उपस्थित रहें।
8. अनुसंधान अधिकारी, एनसीएसटी, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची-834002 को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।

Tel. 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

Copy for Information to:-

1. PS to Hon'ble Chairperson,
2. O/o Joint Secretary,
3. Director (KDB),
4. SSA, NIC,
5. Senior Secretariat Assistant.